

31 जनवरी 2014 के दिन ऑस्ट्रेलियाई इमिग्रेशन डिटैशन (आप्रवासन हिरासत) में रखे गए सभी व्यक्तियों के लिए नोटिस

यह एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आपके अधिकारों को प्रभावित कर सकती है।

यह नोटिस निम्नलिखित भाषाओं में www.immigrationdatabreach.com.au पर उपलब्ध है:

अरबी	अज़रबाइजानी (उत्तरी)	बंगाली	बर्मी	कैनटोनीज़	दारी	हज़ारगी
हिन्दी	इन्डोनेशियाई	कुर्दिश (कुरमानजी)	कुर्दिश (सोरानी)	मैन्डरिन	पश्तो	फ़ारसी
पंजाबी	सिंहलीस (लंकाई)	सिलहेटी (Sylheti)	तमिल	उर्दू	उज़बेक	वियतनामी

1 यह नोटिस किस बारे में है?

डेटा उल्लंघन की भूमिका

- 1.1 यह सूचना (*notice*) Department of Immigration and Border Protection, जिसे अब Department of Home Affairs (**विभाग**) के नाम से जाना जाता है, की वेबसाइट के माध्यम से हुए डेटा के अनधिकृत उपयोग से संबंधित है।
- 1.2 10 फरवरी 2014 को उस वेबसाइट पर एक स्प्रेडशीट प्रकाशित हुई थी जिसमें लगभग 9,000 व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी थी। वे व्यक्ति आप्रवासन या अन्य हिरासत के स्थानों पर रखे गए थे। स्प्रेडशीट वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं होनी चाहिए थी। वह एक हादसा था। आपके नाम और पते जैसी व्यक्तिगत जानकारी का आकस्मिक प्रकाशन, डेटा का अनधिकृत उपयोग (*Data Breach*) कहलाता है।
- 1.3 19 फरवरी 2014 को व्यक्तिगत जानकारी विभाग की वेबसाइट से और 27 फरवरी 2014 के दिन विभाग की वेबसाइट के ऐतिहासिक संस्करण से हटा दी गई थी।

Office of the Australian Information Commissioner से की गई शिकायत

- 1.4 इस बारे में 30 अगस्त 2015 को Office of the Australian Information Commissioner (**OAIC**) से डेटा उल्लंघन से प्रभावित सभी व्यक्तियों की ओर से एक शिकायत की गई थी। ऑस्ट्रेलियाई सूचना आयुक्त ने उस शिकायत की जाँच की।
- 1.5 24 जनवरी 2018 को OAIC ने उन सभी लोगों को (इस जैसा ही) एक नोटिस जारी किया (**पहला नोटिस**) जो शायद डेटा उल्लंघन से प्रभावित हुए थे। पहले नोटिस में डेटा उल्लंघन के प्रभाव के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
- 1.6 11 जनवरी 2021 को, ऑस्ट्रेलियाई सूचना आयुक्त ने निर्णय लिया कि:
 - (1) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप, विभाग से डेटा उल्लंघन से प्रभावित व्यक्तियों की गोपनीयता में हस्तक्षेप हुआ था; और
 - (2) डेटा उल्लंघन से प्रभावित लोग डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए नुकसान या क्षति के लिए मुआवज़ा प्राप्त करने के हकदार हैं।
- 1.7 ऑस्ट्रेलियाई सूचना आयुक्त के फैसले के खिलाफ *Administrative Appeals Tribunal (AAT)* में अपील की गई थी। 13 सितंबर 2023 को AAT ने एक नई प्रक्रिया निर्धारित की जिसके द्वारा डेटा उल्लंघन से प्रभावित व्यक्तियों के मुआवज़े का आकलन किया जाए। इस प्रक्रिया को मुआवज़ा आकलन योजना (*Compensation Assessment Scheme*) कहा जाता है।

मुआवज़ा आकलन योजना (Compensation Assessment Scheme)

- 1.8 AAT के निर्णय के अनुसार, डेटा उल्लंघन से प्रभावित व्यक्तियों को दिए जाने वाले मुआवज़े का एक निष्पक्ष आकलन करने के लिए कानूनी फ़र्म Norton Rose Fulbright Australia (**NRFA**) को नियुक्त किया गया है।
- 1.9 यह नोटिस मुआवज़ा आकलन योजना का पहला कदम है।

2 मुझे क्या करना होगा?

- 2.1 यदि डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपको कोई नुकसान या क्षति नहीं हुई है, तो आप मुआवज़े के हकदार नहीं होंगे। आपको इस नोटिस का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।
- 2.2 यदि आप मानते/ती हैं कि डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपको नुकसान या क्षति हुई है, या यदि आप इस बारे में निश्चित नहीं हैं, और मुआवज़ा आकलन योजना के तहत मुआवज़े का दावा करना चाहते/ती हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन रिस्पांस फ़ॉर्म (**Response Form**) भर कर इस नोटिस का जवाब देना **अनिवार्य** है, यह फ़ॉर्म इस लिंक पर उपलब्ध है: www.immigrationdatabreach.com.au
हानि या क्षति के उदाहरण के लिए कृपया नीचे दिया गया पैराग्राफ 6 देखें।
- 2.3 यदि आपको लगता है कि डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपको नुकसान या क्षति हुई है, लेकिन आप मुआवज़ा आकलन योजना में भाग नहीं लेना चाहते/ती हैं, तो इस नोटिस के जवाब में आपको इससे बाहर रहने का चयन (ऑफ़-आउट) करना होगा। रिस्पांस फ़ॉर्म आपको 'opt-out' विकल्प के चयन की अनुमति देता है। मुआवज़ा आकलन योजना से बाहर रहने के परिणामों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिया गया पैराग्राफ 3 देखें।
- 2.4 आपके द्वारा फ़ॉर्म में दी गई जानकारी NRFA को भेज दी जाएगी। यदि आपके पास भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, तो आप रिस्पांस फ़ॉर्म की एक कागज़ी प्रति भी भर सकते/ती हैं और पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेज सकते/ती हैं Compensation Assessment Scheme, Norton Rose Fulbright Australia, Level 6, 60 Martin Place, SYDNEY, NSW 2000. प्रतिक्रिया प्रपत्र (रीस्पान्स फ़ॉर्म) की एक कागज़ी प्रति का अनुरोध करने के लिए NRFA को ईमेल के माध्यम से auscas@nortonrosefulbright.com पर या (02) 9330 8006 पर फ़ोन करें।
- 2.5 आपको इस नोटिस का उत्तर **10 जून 2024 को शाम 4 बजे (अंतिम तारीख)** तक अवश्य देना होगा। जवाब देने के लिए आप समय-सीमा को बढ़ाए जाने (एक्सटेंशन) का अनुरोध कर सकते/ती हैं, हालाँकि इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कोई एक्सटेंशन मिलेगा।
- 2.6 समय-सीमा बढ़ाए जाने के सभी अनुरोध auscas@nortonrosefulbright.com पर ईमेल द्वारा, या Compensation Assessment Scheme, Norton Rose Fulbright Australia, Level 6, 60 Martin Place, SYDNEY, NSW 2000 पर पंजीकृत डाक (रजिस्टर्ड पोस्ट) के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। समय बढ़ाने का अनुरोध आप NRFA को 02 9330 8006 पर फ़ोन कर के भी कर सकते/ती हैं।
- 2.7 **यदि आपने पहले नोटिस का जवाब नहीं दिया था और समय सीमा तक इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं (और समय सीमा का एक्सटेंशन प्राप्त नहीं करते हैं), तो आपको डेटा-उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवज़ा नहीं मिलेगा।**

3 मुआवज़ा आकलन योजना से 'ऑफ़-आउट' करने का क्या मतलब है?

- 3.1 कृपया ध्यान रखें कि यदि आपको मुआवज़ा आकलन योजना के तहत मुआवज़ा मिलता है तो (अदालती कार्यवाही शुरू करने सहित), डेटा-उल्लंघन के लिए मुआवज़े की मांग करने के आपके सभी अन्य कानूनी अधिकार **समाप्त हो जाते हैं**।
- 3.2 ऐसा इसलिए है क्योंकि मुआवज़ा आकलन योजना का उद्देश्य आपके दावे का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करना और फिर आपके और विभाग के बीच किसी भी विवाद को समाप्त करना है।

- 3.3 यदि आप मुआवज़ा आकलन योजना के बाहर अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते/ती हैं, तो आपको इस नोटिस के जवाब में और प्रतिक्रिया फॉर्म में 'ऑफ़-आउट' विकल्प का चयन करके इस मुआवज़ा आकलन योजना से बाहर रहना होगा। इससे पहले कि आप ऑफ़-आउट करने का निर्णय लें, हम आपको उस निर्णय के बारे में कानूनी सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें अन्य प्रकार के दावों की लागत और आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचना शामिल है, और यह सोचना भी शामिल है कि क्या डेटा उल्लंघन के बाद अब, मुआवज़ा आकलन योजना के अलावा किसी और माध्यम से दावा करने के लिए बहुत अधिक समय तो नहीं बीत चुका है।

4 यदि मैंने पहले नोटिस के जवाब में पहले ही जानकारी प्रदान कर दी है तो क्या होगा?

- 4.1 यदि आपने पहली सूचना के जवाब में जानकारी प्रदान की थी, तो इस जानकारी पर NRFA उस समय विचार करेगा जब वह उस मुआवज़े का आकलन करेगा जिसके आप हकदार हो सकते हैं। आपको वही जानकारी दोबारा से उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।
- 4.2 यदि आप इस नोटिस के जवाब में कोई नवीनतम या अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे समय सीमा के भीतर प्रदान करें।

5 यदि मैंने पहले नोटिस का उत्तर नहीं दिया था तो क्या होगा?

- 5.1 अब आपके पास NRFA को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का एक और अवसर है।
- 5.2 हालाँकि, आपको यह बताना होगा कि आपने पहले नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया। NRFA इसके बाद फिर यह आकलन करेगा कि क्या आप मुआवज़ा आकलन योजना में भाग लेने के हकदार हैं या नहीं।
- 5.3 वह जानकारी जो इस बात से संबंधित हो सकती है कि आपने पहले नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया, उसमें शामिल हो सकते हैं:
- (1) इस बात का कोई प्रमाण कि आपको पहली सूचना प्राप्त नहीं हुई थी;
 - (2) इस बात का कोई प्रमाण कि आपका जवाब OAIC को ठीक से प्राप्त नहीं हुआ था;
 - (3) एक लिखित बयान जिसमें बताया गया हो कि आपकी यह गलत धारणा थी कि आप मुआवज़े के हकदार नहीं होंगे;
 - (4) एक लिखित बयान जिसमें बताया गया हो कि आप पहले नोटिस को समझ नहीं पाए या नहीं जानते थे कि उसका जवाब कैसे देना है; या
 - (5) एक लिखित बयान जिसमें बताया गया हो कि (बीमारी, वित्तीय कठिनाइयों, या परिवार के सदस्यों की देखभाल करने वाली ज़िम्मेदारियों सहित) अन्य परिस्थितियों के कारण आप पहले नोटिस का जवाब नहीं दे पाए थे।

6 मैं किस प्रकार की हानि या क्षति के लिए मुआवज़ा प्राप्त कर सकूंगा/गी?

- 6.1 मुआवज़ा आकलन योजना आपको निम्न के लिए मुआवज़ा दे सकती है:
- (1) आर्थिक हानि या क्षति (**Economic Loss**); और
 - (2) गैर-आर्थिक हानि या क्षति (**Non-Economic Loss**).
- 6.2 मुआवज़ा आकलन योजना आपको केवल डेटा उल्लंघन के कारण हुए आर्थिक नुकसान और गैर-आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकती है। मुआवज़ा आकलन योजना आपको अन्य किसी भी ऐसे नुकसान या क्षति की भरपाई नहीं कर सकती जो डेटा उल्लंघन के कारण नहीं हुई थी।

आर्थिक हानि

- 6.3 आर्थिक हानि का मतलब है वित्तीय हानि जो आपको हुई है या जिसका सामना आपको करना पड़ा है, जैसे कि आपके द्वारा खर्च किया गया पैसा (जेब से खर्च किया गया) या वह आय जो आपको प्राप्त नहीं हुई (आय की हानि) जो कि डेटा उल्लंघन के कारण हुआ था। इसमें शामिल हो सकते हैं:
- (1) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप चिकित्सा के लिए आपकी जेब से किया गया कोई भी खर्च। इसमें इससे जुड़ी लागतें शामिल हो सकती हैं जैसे कि:
 - (a) चिकित्सकों के साथ किया गया परामर्श;
 - (b) दवा और उपचार; और
 - (c) चिकित्सीय रिपोर्टें;
 - (2) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप काम करने में असमर्थ होने से आपको आय का हुआ कोई नुकसान; और
 - (3) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपके द्वारा किया गया कोई भी अन्य खर्च जिसमें शामिल हैं:
 - (a) OAIC को की गई किसी भी पिछली शिकायत, या डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप पहले नोटिस का जवाब देने से जुड़ी कोई लागत; और
 - (b) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपकी पहचान को सुरक्षित करने की लागत।

गैर-आर्थिक हानि

- 6.4 गैर-आर्थिक हानि का अर्थ है वह हानि जो गैर-वित्तीय किस्म की है (अर्थात इसमें कोई आर्थिक हानि शामिल नहीं होती है)। गैर-आर्थिक हानि में शामिल हो सकते हैं:
- (1) चिंता, तनाव, भय, क्रोध, दर्द और कष्ट भोगना, अपमान या शर्मिंदगी की भावनाएँ;
 - (2) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण, जैसे नींद की कमी या सिरदर्द होना; और
 - (3) स्वास्थ्य समस्याएं जो डेटा उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुईं या बिगड़ गईं, जिनमें चिंता या अवसाद भी शामिल हैं, जिनका निदान किसी चिकित्सक द्वारा किया गया हो।

7 मुझे NRFA को किस प्रकार की जानकारी प्रदान करनी चाहिए?

- 7.1 प्रतिक्रिया फ़ार्म आपसे विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए कहेगा। आपके पास अपने मुआवज़े के दावे के समर्थन में अतिरिक्त प्रमाण देने का विकल्प भी है।
- 7.2 NRFA आर्थिक हानि और गैर-आर्थिक हानि के मुआवज़े के लिए आपकी पात्रता का आकलन करते समय विभिन्न सबूतों पर विचार करेगा।
- 7.3 आपके द्वारा किस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

आर्थिक हानि दर्शाने वाले सबूत

- (1) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपके द्वारा किए गए जेब खर्च की रसीदें और अन्य रिकॉर्ड। उदाहरण के लिए, इसमें निम्नलिखित की रसीदें शामिल हैं:
 - (a) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप डाक्टरों के साथ की जाने वाली मुलाकातें

- (b) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप डाक्टरों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें;
 - (c) डेटा उल्लंघन के बारे में या डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप पहली सूचना का जवाब देते समय OAIC को की गई किसी भी पिछली शिकायत के संबंध में आपके द्वारा खर्च की गई (जैसे किसी कानूनी व्यवसायी को अदा की जाने वाली) फीस; और
 - (d) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपकी पहचान की सुरक्षा के लिए किए गए कोई भी अन्य खर्च।
- (2) वेतन पर्ची (पे-स्लिपस), आपके नियोक्ता के पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ जो डेटा उल्लंघन के कारण काम न कर पाने से होने वाले आय के नुकसान का सबूत देते हों; और
- (3) आपके, आपके परिवार के सदस्यों या आपके अन्य करीबी व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित वैधानिक घोषणाएं या बयान, जो डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपको हुए किसी भी आर्थिक नुकसान का वर्णन करते हों।

गैर-आर्थिक हानि दर्शाने वाले सबूत

- (1) आपके, आपके परिवार के सदस्यों या आपके अन्य करीबी व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित वैधानिक घोषणाएं या बयान, जो आप पर डेटा उल्लंघन के प्रभाव का वर्णन करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि यह आपके शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कल्याण को इसने कैसे प्रभावित किया हो सकता है; और
- (2) किसी चिकित्सक की रिपोर्टें, रिकॉर्ड और प्रमाणपत्र जो वर्णन करते हों:
- (a) डेटा उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई या बिगड़ने वाली कोई भी स्वास्थ्य समस्या जो आपको झेलनी पड़ी हो;
 - (b) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपके चिकित्सक के साथ हुआ कोई भी परामर्श; और/या
 - (c) डेटा उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपको प्राप्त हुआ कोई भी उपचार।

8 क्या मैं इस नोटिस का उत्तर फ़ोन पर दे सकता/ती हूँ?

- 8.1 हालांकि यदि आप ऑनलाइन फॉर्म (जो यहां उपलब्ध है www.immigrationdatabreach.com.au) के माध्यम से जवाब देते/ती हैं तो आपकी प्रतिक्रिया अधिक कुशलता से संसाधित हो पाती है, पर आपको फ़ोन पर भी इस नोटिस का जवाब देने का हक है।
- 8.2 कृपया NRFA को (02) 9330 8006 पर संपर्क करें।

9 योग्य दुभाषिए

- 9.1 यह नोटिस कई भाषाओं में उपलब्ध है। कृपया इस दस्तावेज़ की शुरुआत में उपलब्ध लिंक देखें।
- 9.2 आपको इस नोटिस का जवाब अपनी पसंदीदा भाषा में देने का भी हक है। किसी योग्य दुभाषिए की सहायता का अनुरोध करने के लिए कृपया NRFA को ईमेल के माध्यम से auscas@nortonrosefulbright.com पर संपर्क करें या (02) 9330 8006 पर फ़ोन करें।

10 क्या मैं नोटिस का जवाब देने के लिए वित्तीय सहायता का/की हकदार हूँ?

- 10.1 हाँ। नोटिस पर अपना जवाब तैयार करते समय किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा आपको प्रदान की गई किसी भी सहायता की लागत को कवर करने के लिए आप \$500 तक का दावा करने के हकदार हैं। इस वित्तीय सहायता का दावा रिस्पांस फॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है।

10.2 मुआवज़ा आकलन योजना में भागीदारी के दौरान योजना प्रशासक द्वारा आपको प्रदान की गई (नोटिस और रिस्पांस फ़ार्म की अनुवादित प्रतियों सहित) अनुवाद या दुभाषिया सेवाओं के लिए भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं है।

11 प्रश्न और सहायता

11.1 यदि आपको इस नोटिस का जवाब देने में सहायता की आवश्यकता है या आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया NRFA को (02) 9330 8006 या auscas@nortonrosefulbright.com पर संपर्क करें।

12 आपकी गोपनीयता

12.1 NRFA के लिए आपकी गोपनीयता महत्वपूर्ण है। NRFA आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग *ऑस्ट्रेलियाई गोपनीयता सिद्धांतों* समेत, *Privacy Act 1988* (Cth), के अनुसार करेगा।

12.2 मुआवज़ा आकलन योजना के तहत दिए जाने वाले मुआवज़े का निष्पक्ष आकलन करने के लिए NRFA को Administrative Appeals Tribunal द्वारा जारी आदेशों के तहत Department of Finance द्वारा नियुक्त किया गया था। NRFA उस उद्देश्य के लिए आपकी जानकारी को एकत्र, उपयोग और आगे खुलासा करेगा। व्यक्तिगत जानकारी को आपसे एकत्र करने के अलावा, NRFA आपके बारे में व्यक्तिगत जानकारी को OAIC और विभाग से भी एकत्र कर सकता है।

12.3 यदि NRFA आपकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र नहीं कर पाता है, तो NRFA मुआवज़े के लिए आपके दावे का आकलन नहीं कर पाएगा।

12.4 जब NRFA आपके दावे का आकलन कर रहा है, तो NRFA को Department of Home Affairs और Department of Finance के साथ आपकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की आवश्यकता होगी। ऐसा विभागों को आपके दावे और हमारे मूल्यांकन को समझने और उसका जवाब देने में मदद करने के लिए किया जाता है। NRFA को आपकी व्यक्तिगत जानकारी चिकित्सीय और कानूनी पेशेवरों जैसे निष्पक्ष सलाहकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता भी हो सकती है।

12.5 हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी अपने उन कर्मचारियों और ठेकेदारों (कान्ट्रैक्टरों) के साथ साझा कर सकते हैं जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी को प्रबंधित करने में हमारी सहायता करते हैं। उनमें से कुछ कर्मचारी और ठेकेदार ऑस्ट्रेलिया के बाहर, जैसे कि UK (यूनाइटेड किंगडम) स्थित हो सकते हैं।

12.6 NRFA की गोपनीयता नीति में इस बारे में जानकारी शामिल है कि हमारे पास आपके बारे में रखी गई व्यक्तिगत जानकारी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उस जानकारी में सुधार की मांग कर सकते हैं। गोपनीयता नीति में यह जानकारी भी शामिल है कि आप ऑस्ट्रेलियाई गोपनीयता सिद्धांतों के उल्लंघन के बारे में कैसे शिकायत कर सकते/ती हैं और NRFA कैसे ऐसी शिकायत पर कार्रवाई करेगा। आप NRFA की गोपनीयता नीति उनकी [वेबसाइट](https://www.nortonrosefulbright.com/en-au/global-statements/privacy-notice) पर यहाँ देख सकते/ती हैं: <https://www.nortonrosefulbright.com/en-au/global-statements/privacy-notice>

12.7 Department of Home Affairs और Department of Finance की गोपनीयता नीतियों में समान प्रकार की जानकारी शामिल है:

- Department of Home Affairs: <https://www.homeaffairs.gov.au/access-and-accountability/our-commitments/privacy>
- Department of Finance: <https://www.finance.gov.au/about-us/privacy-policy-summary>

12.8 यदि आपके पास हमारे द्वारा एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी या इस बारे में कोई भी प्रश्न हैं कि हम आपकी जानकारी का प्रयोग कैसे करेंगे, जिसमें आपके द्वारा जमा करवाई गई व्यक्तिगत जानकारी में किए गए कोई सुधार भी शामिल हैं, तो कृपया Norton Rose Fulbright Australia से auscas@nortonrosefulbright.com पर या (02) 9330 8006 पर संपर्क करें।